<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-76/2018/टोंक (2018/00076)

1. फैजान पुत्र मुन्ना
2. अजीज पुत्र मेहमूद
3. शाहिदा पत्नी अब्दुल हमीद
4. अब्दुल हमीद पुत्र मेहमूद खां

समस्त जाति मुसलमान निवाई डाईट रोड टोंक तहसील व जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. रसीद पुत्र जुबेदा
2. रईस पुत्र जुबेदा
3. रईसा पुत्री जुबेदा
4. मुन्नी पुत्री जुबेदा
5. कल्लू पुत्र जुबेदा
6. अनीस पुत्र अजीज
7. मुन्नी पुत्री अजीज
8. आरिफा पुत्री अजीज
9. कालू पुत्र अजीज
10. मुन्ना पुत्र अजीज
11. मजीद पुत्र अजीज
12. नफीस पुत्र अजीज
13. कबूली पुत्री अजीज
14. अमीना पत्नी अजीज समस्त जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
15. छोटी पुत्री कबीर
16. ग्राम पंचायत वजीरपुरा तहसील टोंक
17. तहसीलदार, टोंक ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0), टोंक दिनांक [illegible].06.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 04/2018.</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री समीर अहमद, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पोडेंटस सं0 2 से 5
3. रेस्पो0 संख्या 1, एवं 6 लगायत 16 अनुपस्थित ।

4. राजकीय अभिभाषक ,उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 30.09.2021

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, भू0अ0 टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार कबीर खां पुत्र समद खां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 28.03.89 तत्समय उसकी जीवित संतान अजीज खां पुत्र कबीर खां व छोटी पुत्री कबीर खां के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक किया गया। कबीर खां की एक और पुत्री जुबेदा का देहांत कबीर खां के जीवनकाल में दिनांक 07.03. 1975 को हो गया था। नामा0सं0 98 के विरूद्ध रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 जुबेदा के वारिसान की ओर से दिनांक 20.07.16 को उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें उन्होनें विवादित आराजी में अपनी माता जुबेदा का हिस्सा होना कथन किया तथा यह भी अंकित किया कि जुबेदा को भी अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिये था। इसलिए जुबेदा के हिस्से की भूमि उसके वारिसान अपीलांट्स (वर्तमान रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5) के नाम दर्ज होनी चाहिये। उपरोक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी सं0 6 लगायत 18 की ओर से अभिभाषक उपस्थित होने के पश्चात प्रकरण में बहस सुनी जाकर उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 21.02.18 को निर्णय पारित करते हुए नामा0 सं0 98 दिनांक 28.03.89 को निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार, टोंक के समक्ष रिमाण्ड कर दिया जिसकी पालना में तहसीलदार, टोंक द्वारा प्रकरण को दर्ज कर दिनांक 29.06.18 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में निर्णित करते हुए कबीर खां के वारिस पुत्र अजीज खां के 1/2 हिस्सा एवं पुत्री छोटी का 1/4 हिस्सा एवं पुत्री जुबेदा के वारिसान का 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने बाबत निर्णय पारित किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 19:42:55 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा –96 जाप्ता दीवानी पर निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 1 लगायत

5 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट को पक्षकार बना लिया गया है। अपीलांट ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है इसलिए प्रार्थी व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार है, जिसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पो0 अभि0 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील संख्या 7/2016 बउनवानी रसीद बनाम अनीस में अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.02.2018 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की गई इसलिए अपीलांट को माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी के साथ अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधि0न्याया0 ने प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वारा में प्रकरण का निर्णय किया है इसलिए प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी 1 लगायत 5 द्वारा विवादित भूमि को अपने नाम करवाने की कार्यवाही की तो प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थीगण का प्रकरण मैरीटोरियस है इसलिए मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु को क्षमा करते हुए, अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में अभि0 रेस्पो0 द्वारा कथन किया गया कि प्रा0पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य मनगढंत एवं झूठे है। अभि0 अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुती में हुई देरी का कोई भी सद्भाविक एवं युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती में हुई देरी क्षमा किये जाने योग्य नहीं है, अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि मुस्लिम विधि के आधार पर एक पिता की जीवित रहते हुए उसके मृतक पुत्र अथवा पुत्री के वारिसान को कानून किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है बल्कि खातेदार की मृत्यु के समय जो-जो वारिसान/शेयर धारक जिन्दा होते है उनमें ही सम्पत्ति न्यायगत होती है। प्रस्तुत प्रकरण में कबीर खा के [illegible] में ही उनकी पुत्री जुबेदा फौत हो चुकी थी इसलिए कबीर [illegible] की [illegible] में मृतक जुबेदा के वारिसान का कोई हक व अधिकार नहीं बन[illegible]। स्वयं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 ने एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी, टोंक [illegible] समक्ष दिनांक 02.07.15 को प्रस्तुत कर दिया इसलिए नियमित वाद में पक्षकारों के हक व अधिकारों का निस्तारण होना है, तब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नामांतरकरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

संबंध में किया जाना ही उचित नहीं था। नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामा0 की समरी कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये। अपनी बहस के समर्थन में मुस्लिम विधि की धारा-52 प्रस्तुत किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 2 लगायत 5 ने जवाब बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा निर्णय दिनांक 21.02.18 पारित करते हुए नामा0 सं0 98 दिनांक 28.03.1989 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, टोंक को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करें। जिसकी पालना में तहसीलदार, टोंक द्वारा प्रकरण सं0 4/2018 रशिद बनाम अनीस दर्ज कर मृतक खातेदार कबीर खां के विधिक वारिसानों की विधिसम्मत जांच कर निर्णय पारित किया है। अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.06.18 में रेस्पो0 की माता जुबेदा को मूल खातेदार कबीर खां की पुत्री होने के आधार पर अधिकार माना है, जो पूर्णतः वैधानिक है। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2009 पार्ट II आरआरटी पेज 816, 2010 पार्ट I आरआरटी पेज 413 प्रस्तुत किये। अपील अपीलांट सारहीन होने से अपास्त की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है-

अजीज पुत्र महमूद खान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि मे से कुछ भूमि छोटी पुत्री कबीर से खरीदी थी अतः वह एक व्यथित पक्षकार है। जिससे अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। चूंकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि मे ही कुछ हिस्सा छोटी से खरीद किया गया है। अतः उसे पक्षकार बनाये बिना अपील का न्यायपूर्ण निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांटस को अपील करने की स्वीकृति दी जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 5 में अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी किसी भी प्रकरण का मियाद के बिन्दू पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । अतः हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना आवश्यक समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपील संख्या 7/2016 में निर्णय करते हुए नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 28.03.1989 ग्राम बाड़ाजेरेकिला तहसील टोंक में निर्णय देकर उक्त नामांतकरण को निरस्त कर पुनः नये सिरे से नामांतकरण खोलने बाबत् आदेश जारी किया। उक्त अपील स्वर्गीय कबीर की पुत्री स्वर्गीय जुवैदा के वारिसान द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

स्वर्गीय अजीज के वारिसान कबीर की पुत्री छोटी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज करवायी गई।

तहसीलदार टोंक द्वारा उक्त रिमाण्डेंड प्रकरण में (4/2018) स्वर्गीय कबीर के भूमि में स्वर्गीय जुवैदा के वारिसान को हक देते हुए कबीर के पुत्र अजीज को 1/2 तथा मुस्लिम विधि का हवाला देते हुए जुवैदा को 1/4 व छोटी को 1/4 भूमि दर्ज की गई। उक्त आदेश तहसीलदार टोंक द्वारा 29.06.2018 को पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान यह ध्यान मे लाया गया कि समान पक्षकारो के बीच एक अन्य अपील न्यायालय हाजा में ही छोटी बनाम रशीद के नाम से विचाराधीन है। दोनों की विषयवस्तु एक जैसी है तथा वादग्रस्त भूमिया भी समान है। बहस के अनुसार कबीर के तीन संतान अजीज, छोटी,जुवैदा थी। जुवैदा की मृत्यु 07.03.1975 को हो गई। कबीर की मृत्यु 1989 में हो गई। कबीर की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 28.03.1989 से अजीज और छोटी के नाम की गई। छोटी की जमीन से कुछ हिस्सा वर्तमान अपीलांटस फैजान एवं अन्य द्वारा क्रय किया गया। सन् 2015 में जुवैदा के वारिसान द्वारा एक वादपत्र और अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक में प्रस्तुत किया गया। जिसमें जुवैदा के वारिसान ने कबीर की भूमि से अपना हिस्सा मांगा। दिनांक 02.07.2015 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश दिया गया। सन् 2016 में नामांतकरण संख्या 98 की अपील की गई। जो कि एक बायपास तरीका है और गलत है। मुस्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए यदि संतान की मृत्यु हो जाती है तो मृतक व्यक्ति के वारिसान के अधिकार खत्म माने जायेगें। मुस्लिम विधि नामक पुस्तक पेज 310 में उल्लेखित मुस्लिम विधिवेता मुल्लाकासिम का हवाला देते हुए कहा है " कि जन्म से अधिकार नहीं माने जाते है।" वकील रेस्पोडेंड द्वारा बहस में यह भी कहा कि उपखण्ड अधिकारी में रेगुलर वाद में अपीलांट का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी खारिज कर दिया गया था। वकील अपीलांट द्वारा यह कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा 19.02.2018 को ही खारिज कर दिया गया था। मगर दो दिन बाद ही दिनांक 21.02.2018 को अन्तिम फैसला कर दिया गया था।

मुल्ला कासिम की मुस्लिम [illegible] अनुसार जो सुन्नी मुसलमानो पर लागू होती है। "मुस्लिम [illegible] का [illegible] सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई बच्चा [illegible] की सम्पदा के उत्तराधिकार के खुलने के पूर्व अपने पीछे वारिसान को छोड़कर मर जाता है। तब उसका पौत्र [illegible]पने चाचाओ के द्वारा दाय से पूर्णतः अपवर्जित कर दिये जाते है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेंड श्री गिरीश शर्मा द्वारा आर आर टी 2009 (2) पेज 816 पार्वती देवी बनाम गुल्ली देवी तथा आर आर टी 2010(1) पेज 413 गुलाबसिंह बनाम उम्मेदसिंह के साइटेशन पेश की—

आर0आर0टी 2009(2) पेज 816— आर के पुत्र **एच** के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया। अप्रार्थीया **जी, आर** पुत्री होने का दावा कर रही है। उसने भी एक नियमित वाद घोषणा हेतु पेश किया है जो निर्णय हेतु विचाराधीन है—नामांतकरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है। और अधिकार अधिनिर्मित नहीं हो सकते—निर्णित,रिमाण्ड का आदेश न्यायोचित नहीं है व अपास्त है और निमित्त वाद के निस्तारण तक नामांतकरण कार्यवाही तक स्थगित रखें।वर्तमान प्रकरण में विरासत का प्रश्न नहीं है अपितु विधि का प्रश्न है। अतः उक्त साइटेशन वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है।

साइटेशन आर टी 2009 (2) पेज 816 पार्वती देवी बनाम गुल्ली देवी के अनुसार मृतक सहखातेदार की पुत्री गुल्ली देवी है या नही है के उपर आधारित था। इस प्रकरण में गुल्लीदेवी द्वारा पृथक से राजस्व वाद दायर कर रखा था। जिसमें गुल्ली देवी पुत्री है या नही के संबंध में तनकी भी कायम की गई थी। साथ ही मृतक सहकाश्तकार की विरासत गोद पुत्र के पक्ष में खोली गई थी। जिससे पार्वती देवी द्वारा जमीन क्रय की गई। वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं है। यहां यह माना हुआ है। कि जुवैदा कबीर की पुत्री थी तथा कबीर की मृत्यु से पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी थी। न ही इस प्रकरण में गोद पुत्र संबंधित कोई बात है। अतः यह साईटेशन उक्त प्रकरण में लागू नहीं होता है।

आर आर टी 2010(1) पेज 413—गुलाबसिंह बनाम उम्मेदसिंह साइटेशन को देखा गया। इस प्रकरण में जागीरदार दौलतसिंह की संपत्ति का विरासत का विवाद है। दौलतसिंह की मृत्यु के बाद उनकी विरासत पांच पुत्रो में दर्ज की गई। पुत्रीयों के नाम विरासत में दर्ज नहीं किये गये। बड़े पुत्र उम्मेदसिंह द्वारा धारा—88,188 राजस्थान टिनैन्सी एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। ट्रायल कोर्ट में दौलतसिंह के पुत्रियों द्वारा पक्षकार बनने हेतु ऑर्डर 1,रूल 10 सीपीसी के तहत आवश्यक पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर रेस्पोडेंड अपीलांट द्वारा आर ए ए में अपील कर 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिया। जिसको आर ए ए द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में दो वाद दायर किये गये थे जिसमें एक प्रकरण में वाद दावा निर्णित कर दिया [illegible] और दूसरे में अन्डर ट्रायल है। वर्तमान प्रकरण में स्थिति [illegible] है यहां विरासत से संबंधित विधि का प्रश्न है। [illegible] ऐसा व्यक्ति प[illegible]र बनना चाह रहा है जिसके पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाया गया था। अतः उक्त प्रकरण में यह साइटेशन लागू नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में वाद बहस दस्तावेजों के अवलोकन एवं मुस्लिम विधि के अवलोकन से स्पष्ट है कि कबीर की मृत्यु से पहले जुवैदा की मृत्यु हो जाने से जुवैदा के वारिसान को मुस्लिम विधि के अनुसार कोई हक नहीं दिया जा सकता है। **''मुस्लिम विधि का यह सुज्ञात सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई वारिस उसकी संपदा के उत्तराधिकार के खुलने के पूर्व अपने पीछे वारिस को छोड़कर मृत हो जाता है। तब यह पोत्र अपने चाचाओ के द्वारा दाय से पूर्णतः अपवर्जित कर दिये जाते है।''** उपरोक्त संदर्भ में स्पष्ट है कि तहसीलदार टोंक द्वारा मुस्लिम विधि का अध्ययन किये बिना ही रिमाइण्ड केश में जुवैदा के वारिसान को कबीर की संपति में 1/4 हिस्सा दिया है। जो कि प्रचलित मुस्लिम विधि के विरूद्ध है चूंकि जुवैदा की मृत्यु 1975 में ही कबीर की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी। अतः कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत में जुवैदा के वारिसान को कोई हक नहीं है। अतः तहसीलदार टोंक के निर्णय दिनांक 29.06.2018 विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

वकील समीर अहमद द्वारा सैक्शन 52 मोम्मडन लॉ चैप्टर 6 प्रस्तुत किये है। इसके मुताबिक जन्म से अधिकार नहीं होते है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज और अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत साइटेशन पर मनन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। न्यायालय यह मानना है कि उक्त प्रकरण मात्र विरासत के प्रश्न से संबंधित नहीं है। अपितु विधि के प्रश्न से संबंधित है। पक्षकार मुस्लिम है और उनकी विरासत मोम्मडन लॉ से निर्धारित हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में यह विवाद नहीं है कि जुवैदा कबीर की पुत्री है, यह विवाद भी नहीं आया कि जुवैदा की मृत्यु कबीर की मृत्यु से काफी समय पूर्व हो चुकी थी। अपितु मुस्लिम विधि के अनुसार विरासत क्या होगी। इस बाबत् विवाद है। प्रस्तुत प्रकरण पर मोम्मडन लॉ का धारा 52 चस्पा होता है। जिसके अनुसार पिता की मृत्यु से पूर्व यदि किसी संतान की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी मृतक संतान के वारिसान को मृतक के पिता की विरासत में फर्क नहीं मिलेगा। उपरोक्त प्रकरण में वस्तुतः यही हुआ है। जुवैदा की मृत्यु 1975 में हुई है तथा कबीर की मृत्यु 1989 में हुई है। अतः कबीर की विरासत से भूमि कबीर के जीवित संतानों अजीज एवं छोटी को ही जानी थी। तहसीलदार टोंक द्वारा नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 28.03.1989 सही रूप से कबीर की मृत्यु के बाद अजीज एवं छोटी के पक्ष में खोला गया। [illegible]ड अधिकारी द्वारा अपील संख्या 7/2016 दिनांक 21.02.201[illegible] एवं [illegible]श्चात तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 4/201[illegible] दिनांक 29.06.[illegible] का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

–ःक्रि[illegible]क आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपील संख्या 7/2016 निर्णय दिनांक 21.02.2018 एवं तहसीलदार टोंक

द्वारा प्रकरण संख्या 4/2018 दिनांक 29.06.2018 वास्ते ग्राम बाडाजेरेकिला का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपील संख्या 76/2018 तहसीलदार टोंक(4/2018रसीद बनाम अनीश) द्वारा 29.06.2018 किये गये निर्णय को खारिज करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार टोंक को पुनः पत्रावली नये सिरे से पक्षकारो को सुनकर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु प्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested

वकील श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा आर एल डब्ल्यू पार्ट 1 रेवन्यू 2013 पेज 183, 2019 आर आर डी (1) पेज 124 एवं 226, 2011 आर आर टी पेज 907, 2010 आर आर टी पेज 1222, 2021 डी एन जे रेवन्यु पेज 804 प्रस्तुत किये।

आर0एल0डब्ल्यू पार्ट 1 रेवन्यू 2013 पेज 183—मियाद क्षमा आवेदन को निर्णित किये बिना अपील का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है। (अपीलाधीन निर्णय मे मियाद को क्षमा करने का आवेदन निर्णित नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2019 आर0आर0डी0 (1) पेज 124 एवं 226— बीस वर्ष बाद नामांतकरण को चुनौती नहीं दी सकती है। तथा विधि एवं तथ्यों के प्रश्न अन्तरवर्लित निमित्त वाद द्वारा ही तय हो सकते है। नामांतकरण्र की कार्यवाहीं में हक अधिकार तय नहीं हो सकते है। (वर्तमान प्रकरण में 28 वर्ष बाद अपील कि गई परन्तु कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जबकि बर्डन ऑफ प्रुफ वर्तमान रेस्पोडैन्ट पर है इसप्रकार विरासत बाबत् बिन्दु नियमित वाद के द्वारा तय किये जाते है इंतकाल कार्यवाही में तय नही किये जा सकते है इसकारण पुर्व का इंतकाल यथावत रखा जाना चाहिए।)

2011 आर0आर0टी0 पेज 907—जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो इंतकाल कि कार्यवाही स्थगित कि जानी चाहिए।

2010 आर0आर0टी0 पेज 1222— नामांतकरण कि कार्यवाही में गंभीर प्रश्न तय नहीं किये जा सकते है वाद ही उपचार है।

2021 डर0एन0जे0 रेवन्यु पेज 804— धारा 5 के आवेदन पर आदेश पारीत किये बिना प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारीत नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:55 IST
Reason: SelfAttested